

24/9/21

पत्रावली काज केस आई

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लौ. स. अ. (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली) के विरुद्ध पेश की गई है।

इस न्यायालय द्वारा रैफरेंस को अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाने पर उन्होंने जारिषे पत्रांक/श.लौ.स.अ./183/2021/1074 दिनांक 15/7/21 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनके जारिषे पत्रांक/एफ/कलेक्टर पाली/1810280711/183/2021/724 दिनांक 29/4/21 के उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपना पदा रखने हेतु अपीलांट को नोटिस क्र. 1355 दिनांक 2/9/21 को जारिषे रजिस्टर्ड डाफ द्वारा भिजवाया गया। जिस पर अपीलांट ने आज न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त सूचना प्राप्त होना स्वीकार किया। अतः हस्तगत अपील में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहे जाती है अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

संतोष पंवार

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल दोकर नम्बर से कम है।

जिजा कलक्टर, पाली

जिजा, उडाहरक जाली

जिजा, उडाहरक जाली

जिजा, उडाहरक जाली

